



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(43)पंरावि/प्रशा.1/अभि.संस्था/न्या.प्रक.(2777/22)/2022/ 3864 जयपुर, दिनांक 13/9/22

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान जयपुर के अपील क्रमांक 2777/2022 उनवानी श्री आनन्दी लाल मीणा बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये स्थगन आदेश के क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रानुसार विभागीय आदेश क्रमांक 3065 दिनांक 26.7.2022 द्वारा श्री आनन्दी लाल मीणा, सहायक अभियन्ता पंचायत समिति सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर का पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन निरस्त किया जाता है। श्री मीणा यथावत सहायक अभियन्ता पंचायत समिति सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर के पद पर कार्यरत रहेंगे।

९७

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
8. जिला कलक्टर, करौली/सवाईमाधोपुर।
9. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली/सवाईमाधोपुर।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सपोटरा/सवाईमाधोपुर।
11. प्रभारी अधिकारी सम्बन्धित कोर्ट केस।
12. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सम्बन्धित अभियन्ता को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।

९७

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)